संक्षेप में

अनुपालन में चूक के लिए एसएमसी पर जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहकों के ऑर्डर देने से जुड़े रिकॉर्ड रखने और अधिकृत व्यक्ति की निगरानी के नियमों के पालन में चूक के मामले में दिल्ली स्थित एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जनवरी से सितंबर 2024 की अवधि के लिए 'शेयर ब्रोकर' की विशेष जांच के बाद आया है। बाजार नियामक ने यह जांच बिना अनुमति के कारोबार किए जाने की शिकायतों और ग्राहकों के ऑर्डर देने की प्रक्रिया के संबंध में की है। सेबी ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा कि उसे पता चला कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने कुछ ग्राहकों के ऑर्डर दिए जाने से पहले के जरूरी रिकॉर्ड नहीं रखे थे और वह कई ऑर्डर से संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करा सकी। बाजार नियामक ने अधिकृत व्यक्ति अमित लिल्हारे की निगरानी में भी खामियां पाईं। इनमें 'कमीशन' प्राप्त करने वाले बैंक खातों की पर्याप्त निगरानी नहीं करना और ग्राहकों के भुगतान संबंधी अनुरोधों का सत्यापन नहीं करना शामिल है। *भाषा*

'एमेजॉन नाउ' का 120 शहरों तक विस्तार

एमेजॉन ने अपनी त्वरित आपूर्ति सेवा 'एमेजॉन नाउ' का विस्तार भारत के 120 से अधिक शहरों तक कर दिया है। ई-कॉमर्स कंपनी ने त्योहारों से पहले अपने डिलिवरी नेटवर्क को मजबूत करने के बीच दो सप्ताह में इसका विस्तार दोगुना किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि यह सेवा अब अमृतसर, अबोहर, जालंधर, अंबाला, मंगलूरु, मणिपाल, विशाखापत्तनम, कोच्चि, चंगनाशेरी, भुवनेश्वर और कारवार जैसे शहरों में भी उपलब्ध है। उसने कहा कि 'एमेजॉन नाउ' के जरिये किराना सामान, फल एवं सब्जियां, फ्रोजन खाद्य पदार्थ, देखभाल के सामान, सौंदर्य उत्पाद, छोटे घरेलू उपकरण और घर एवं रसोई का सामान समेत हजारों तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं। *भाषा*

कंपनी चार्टर पर पुनर्विचार करें प्रमोटर

टाटा संस से संबंधित विवाद खड़ा होने से कंपनियों में मालिकाना हक और प्रबंधन की सीमाएं तय करने की जरूरत सामने आई

बीएस संवाददाता
कोलकाता/मुंबई/नई दिल्ली और चेन्नई, 2 अक्टूबर

टाटा संस के बोर्डरूम में चल रहे विवाद ने कंपनियों के बड़े शेयरधारकों और प्रवर्तक (प्रमोटर) परिवारों को अपने कॉरपोरेट प्रशासन नियमों की नए सिरे से समीक्षा करने का कारण दे दिया है। कारोबारी संस्थापकों, वकीलों और कंपनियों के लिए बड़े अधिकारियों की खोज करने वाले कंपनियों के विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों को स्पष्ट करना चाहिए कि मालिकाना हक कहां तक है और रोजमर्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है।

क्यों पड़ी कंपनियों के प्रबंधन पर पुनर्विचार की जरूरत

भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह की धारक कंपनी टाटा संस इस समय निदेशक मंडल के फैसले को लेकर विवाद में है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नियामकीय जरूरत पूरी करने के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि, टाटा समूह के प्रमुख परिवार से जुड़े नोएल टाटा ने इस फैसले की वैधता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अनुपालन की जरूरतें पूरी करने के दूसरे वैकल्पिक तरीके भी मौजूद हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि निदेशक मंडल (बोर्ड) में बाहरी और पेशेवर विशेषज्ञों को शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि प्रवर्तकों का प्रभाव पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जरूरत इस बात की है कि यह स्पष्ट हो कि कंपनी की दिशा कौन तय करेगा, उसे लागू कौन करेगा और मतभेद होने पर उनका समाधान कैसे होगा ताकि इससे यह सुनिश्चित हो कि मालिकाना हक और प्रबंधन कंपनी में अधिकार के दो आपस में प्रतिस्पर्द्धा वाले केंद्र न बन जाएं। किंग स्टब ऐंड कासिव के प्रबंध अधिकारी जिदेश कुमार ने कहा कि टाटा संस का यह घटनाक्रम प्रवर्तक परिवारों और स्वामित्व वाली कंपनियों को मालिकाना हक और प्रबंधन के बीच की सीमाओं पर ज्यादा गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तक भविष्य में महत्त्वपूर्ण मामलों पर अपने लिए स्पष्ट वीटो या आरक्षित अधिकार रखना पसंद कर सकते हैं जबकि रोजमर्रा का प्रबंधन पेशेवर नेतृत्व टीम के जिम्मे छोड़ा जा सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने जिन कानूनी विशेषज्ञों ने भी बात की उन्होंने इसी व्यापक राय को साझा किया। कानून फर्म बीटीजी अद्वय के पार्टनर जेरक्सेस एंटिया ने कहा, 'प्रवर्तकों को कंपनी की व्यापक दिशा तय करनी चाहिए, ऐसे फैसलों को मंजूरी देनी चाहिए जो कंपनी की मूल संरचना को बदल सकते हैं और प्रबंधन को उसके प्रदर्शन के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। वहीं, कारोबार के रोजमर्रा के संचालन की जिम्मेदारी प्रबंधन के पास होनी चाहिए।

एएनबी लीगल के संस्थापक साझेदार आशीष भक्त ने कहा कि मालिकाना हक की भूमिका, जवाबदेही और कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति, लक्ष्यों तथा मूल हितों को तय करने में महत्त्वपूर्ण बनी रहती है और यह दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा, उद्देश्यों और कंपनी के मूलभूत हितों के लिहाज से भी अहम है।

बिनय सिन्हा

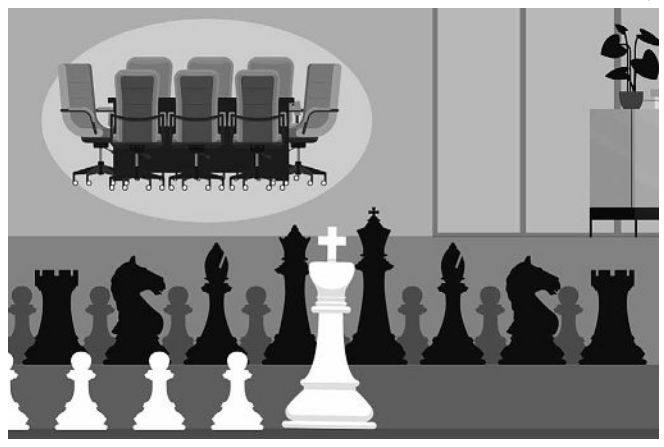

माइंडस्प्राइट लीगल की प्रबंधन पार्टनर अक्षया भंसाली ने कहा कि मालिकाना हक और प्रबंधन के बीच अंतर कंपनी कानून में भी स्पष्ट रूप से मौजूद है। उन्होंने कहा, 'केवल शेयरधारक होने से किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रबंधन और संचालन में सीधे भाग लेने का अधिकार नहीं मिल जाता।' उन्होंने बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 में शेयरधारकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई कंपनी बाहर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या अन्य पेशेवर नेतृत्व नियुक्त करती है तब उसके साथ ऐसा प्रशासनिक ढांचा भी होना चाहिए जो प्रबंधन परिचालन के काम में पर्याप्त स्वतंत्रता दे और साथ ही प्रवर्तकों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करे। टाटा संस के घटनाक्रम के बाद प्रवर्तक परिवारों और करीबी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा अपने प्रशासनिक दस्तावेजों की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।

एंटिया के अनुसार, कंपनियां अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) की ज्यादा बारीकी से समीक्षा कर सकती हैं। इसमें विशेष मंजूरी से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट और लागू करने योग्य तरीके से लिखने के साथ-साथ मनोनीत निदेशक के स्थान पर नए निदेशक की नियुक्ति और बोर्ड में गतिरोध जैसी स्थितियों से निपटने के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।

थिसलऐंडलॉ की सह संस की को-फाउंडिंग पार्टनर सौम्या सिंह ने कहा कि गवर्नेंस दस्तावेजों में उन महत्त्वपूर्ण मामलों की स्पष्ट सूची होनी चाहिए, जिन पर प्रवर्तक या शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी होगी।

बाहरी सीईओ की ओर क्यों रुख करते हैं प्रमोटर

एक बड़ी स्वास्थ्य सेवा कंपनी की प्रमोटर और अध्यक्ष ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'जैसे-जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं, प्रशासन, प्रक्रियाएं और अनुपालन अधिक जटिल होते जाते हैं। उन्हें संभालने के लिए पेशेवर सीईओ के पास अधिक विशेषज्ञता होनी चाहिए।' उन्होंने सवाल किया, '15 से 20 साल बाद आप कितनी बार उसी लाभ और हानि पत्रक को देखते रह सकते हैं? यदि अगली पीढ़ी कंपनी चलाने में रुचि नहीं रखती है या ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो प्रमोटर की जिम्मेदारी सही पेशेवर को खोजना होती है।' एक कार्यकारी खोज फर्म के प्रमुख ने कहा कि कुछ प्रमोटर अपरिचित व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों में कदम रखते समय पेशेवर सीईओ की तलाश करते हैं।

बिना किसी कंपनी का उल्लेख किए उपरोक्त स्वास्थ्य सेवा कंपनी की अध्यक्ष ने यह भी कहा, 'लंबे समय से सेवारत पेशेवर अपने चारों ओर जागीरें बना सकते हैं और समय के साथ बोर्डों को उन लोगों से भर सकते हैं जो उन्हें चुनौती देने की संभावना नहीं रखते हैं। प्रमोटर परिवारों के साथ मिलकर काम करने वाले एक पेशेवर सीईओ ने कहा कि प्रमोटर-संचालित और पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी के बीच का अंतर शायद ही कभी इतना स्पष्ट होता है जितना कि बाहर से दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि मुख्य प्रश्न प्रबंधकीय स्वायत्तता का दायरा होता है। एक पेशेवर सीईओ को व्यवसाय चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन प्रमुख अधिग्रहण, नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश या पर्याप्त ऋण लेने जैसे निर्णयों पर एक प्रमोटर स्वाभाविक रूप से अपनी राय रखने की उम्मीद करेगा।

तमिलनाडु स्थित एक सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर के मामले पर विचार करें, जिसके बेटे ने हाल ही में व्यवसाय में प्रवेश किया। चूंकि बेटा एक संबंधित पक्ष था, इसलिए प्रस्ताव प्रबंधन के माध्यम से गया, जिसने कंपनी मानकों के अनुरूप प्रशिक्षु के लिए 50,000 रुपये के मासिक वेतन को मंजूरी दी। प्रमोटर ने बाद में प्रबंधन से राशि पर पुनर्विचार करने और इसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए कहा। हालांकि, प्रबंधन ने 75,000 रुपये पर फैसला किया। प्रमोटर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि ऐसे फैसलों को न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए। लेकिन यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रमोटर और बाहरी सीईओ के व्यापक दृष्टिकोण एक ही हो।

विनिर्माण, रियल एस्टेट और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत एक समूह के दिल्ली स्थित प्रमोटर ने कहा कि प्रमोटर-पेशेवर प्रबंधन के बीच मुख्य कारक आपसी विश्वास होता है, लेकिन खास बात यह है कि प्रमोटर का दृष्टिकोण अधिक महत्त्व रखता है।

(ईशिता आयान दत्त, सोहिनी दास, भाविनी मिश्रा, गुलवीन औलख और शाइन जेकब)

agriwise एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड
(पहले स्टार एग्री फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पंजीकृत कार्यालय का पता: 8वीं मंजिल, 802, एग्रीवाइज फिनसर्व, सुमेर प्लाजा, मरोल मरोशी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400059
सीआईएन: यू65999जीजे1995पीएलसी025025

कब्जा-सूचना (परिशिष्ट IV) { नियम 8(1)}

चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत **एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 8वीं मंजिल, सुमेर प्लाज़ा, मारोल मारोशी नगर, मारोल नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400059(बाद में "बंधक" के रूप में संदर्भित)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-जून-2026 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें: **उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और प्रतिभूति प्रदाता यानी (1.) मेसर्स झाकर बिल्डिंग मटेरियल अपने मालिक सुशील के माध्यम से (2.) सुशील पुत्र ओम प्रकाश (3.) विनीता पत्नी सुशील को नोटिस में उल्लिखित राशि 10-जून-2026 को देय रु. 20,61,900/- (बीस लाख इकसठ हजार नौ सौ रुपये मात्र) के साथ लागू ब्याज और अन्य शुल्कों** को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भीतर उक्त राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया।

उधारकर्ता/ गिरवीकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे है, अतः उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **29.09.2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को **एतद्द्वारा** आगाह किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर **10-जून-2026 को देय रु. 20,61,900/- (बीस लाख इकसठ हजार नौ सौ रुपये मात्र)साथ ही लागू ब्याज और अन्य शुल्क एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

हिसार-सिरसा रोड, गाँव-बंगाँव, तहसील और जिला-फतेहाबाद में स्थित खेवट नंबर-60, खसरा नंबर- 121//17(7-15), 18(5-12), 23(6-16), 24(3-17),144//3(7-6), 4(0-10), 8/1(1-19), 8/2(2-8), 122//16/1(2-0), 121//21मिन (7-10), 144/1/1(7-16),121//ली/1(5-11), 21 मिन (0-10),143//6(7-12),144/1/2(0-4), 10/1(0-4), 121// 13/2(3-17),144//2/2(1-0), 144//10/2/1(7-7), 122//15/2/2(0-16), 122//15/1(5-18), 15/2/1(0-5), 122//16/2(5-12), 74//5(8-0), 15(8-0), 16/(2-0), 75//11/2(6-9), 20/1(2-0), 74//6(8-0), कुल 29 किते में शामिल 12 मरला (363 वर्ग गज) ज़मीन और उस पर बनी या बनने वाली पूरी इमारत (आवासीय संपत्ति के तौर पर) का सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश और यह संपत्ति रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड सं.-6723 (दिनांक 09/02/2015) और सुधार विलेख नंबर-4616 (दिनांक 17/10/2016), श्री सुशील (पिताः ओम प्रकाश) के नाम के ज़रिए मालिकाना हक में है। जीपीएस लोकेशनः अक्षांश 29.26509, देशांतर 75.25144, माप/दिशाएँ: उत्तर-93 फ़ीट (रामनिवास का घर), दक्षिण-73 फ़ीट (उमेद सिंह का घर), पूर्व- 40 फ़ीट (सड़क), पश्चिम- 44 फ़ीट (सड़क)।

दिनांकः 29/09/2026
स्थानः फतेहाबाद (हरियाणा)
प्राधिकृत अधिकारी
मैसर्स एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड
पहले स्टारएग्री फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था

कर्ज बांटेगी ब्लैकसॉइल कैपिटल

वैकल्पिक ऋण मंच, ब्लैकसॉइल कैपिटल को वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 2,400 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित करने की उम्मीद है। कंपनी चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 1,600 करोड़ रुपये का ऋण दे चुकी है।

अकेले पहली तिमाही में कंपनी ने करीब 700 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। ब्लैकसॉइल के प्रबंध निदेशक अंकुर बंसल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि भारत में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार के परिपक्व होने के साथ कंपनियों में कर्ज की मांग बढ़ रही है। बंसल ने कहा, 'पिछले 12 महीनों में भारतीय आईपीओ बाजार का काफी विस्तार हुआ है। *बीएस*

peoplehome पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड
(जिसे पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन सं. U65990MH2017PLC472040
पंजीकृत कार्यालयः 19डब्ल्यू-सी विंग, द रूबी, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई- 400028, महाराष्ट्र, भारतwww.peoplehome.in फ़ोन नंबर +91 22 45036000

कब्ज़ा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के तहत पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (सीआईएन सं. U65990MH2017PLC472040) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत शक्तियों के प्रयोग करते हुए, ऋण खाता संख्या HLNLAPKNL0014303 के संबंध में दिनांक 24.04.2026 को एक मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ताओं कुसुम देवी और अमन कुमार (पिताः नोरंग) से मांग नोटिस में बताई गई कुल रकम 24.04.2026 तक रु. 6,08,292/- (छह लाख आठ हज़ार दो सौ बानवे रुपये) इसके साथ ही ऋण अनुबंध के हिसाब से 25.04.2026 से लगने वाला और/या लगने वाला आगे का ब्याज और प्रभार को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

उधारकर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने पर, उधारकर्ता को, विशेष रूप से तथा आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की धारा उप (4)के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 01.10.2026 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आमतौर पर जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने पर 24.04.2026 तक रु.6,08,292/-(छह लाख आठ हज़ार दो सौ बानवे रुपये) के साथ उस पर ब्याज अतिरिक्त ब्याज और शुल्क पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्रभार के अधीन होगी।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफ़ेसी अधिनियम की धारा (13) की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः

गाँव बाजीदा रोरन के लाल डोरा' के इलाके में, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित यू.आई.डी. नंबर 59277एसएम151000r0257 वाली संपत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश, जिसका एरिया 87.613 वर्ग मीटर है। इसके साथ सभी अधिकार (जिनमें कॉमन एरिया, सुविधाओं, सुख-सुविधाओं, विकास के अधिकार आदि का इस्तेमाल और उन पर कब्जा करने के अधिकार शामिल हैं, (जो लागू हों) और इससे जुड़े सभी फ़र्नीचर, फ़िक्स्चर, फ़िटिंग और अन्य चीजें भी शामिल हैं। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व : शीर्षक विलेख(टाइटल डीड)के अनुसार, पश्चिमः शीर्षक विलेख (टाइटल डीड) के अनुसार, उत्तर : शीर्षक विलेख के अनुसार, दक्षिणः शीर्षक विलेख के अनुसार।

दिनांकः 01.10.2026
स्थानः हरियाणा
अधिकृत अधिकारी,
पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड
(जिसे पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

आईटी कंपनियों के नतीजे रहेंगे कमजोर!

पहली छमाही में व्यापक आर्थिक परिदृश्य में अधिक सुधार दिखने की संभावना नहीं

अभीक दास
बेंगलूरु, 2 अक्टूबर

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के लिए व्यापक आर्थिक परिदृश्य में बहुत अधिक सुधार की संभावना नहीं है। इससे आने वाली तिमाही में भी कंपनियों की लगातार राजस्व वृद्धि दर मामूली तौर पर ही बढ़ सकती है। व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण मूल्य निर्धारण तथा उत्पादकता पर दबाव बढ़ा है जिससे मांग प्रभावित हो रही है।

छुट्टियों का सीजन शुरू होने से पहले मजबूत प्रदर्शन करने वाली दूसरी तिमाही आमतौर पर कंपनियों को अगले 6 महीनों में सकारात्मक गति देने का काम करती है, पर व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति और एआई के कारण राजस्व में गिरावट से कंपनियों की वृद्धि धीमी हो गई है।

मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में मांग का रुख नरम बना रहेगा। इसके कई कारण हैं, जिनमें व्यापक आर्थिक दबाव, ब्याज दरों में वृद्धि, एआई से जुड़े व्यवधान और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं शामिल हैं। ये तमाम कारक खर्च करने की क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही हैं। अधिकांश ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि पहली तिमाही की तरह ही दूसरी तिमाही का प्रदर्शन भी कमजोर रहने के बाद आईटी कंपनियों को अपने वित्तीय अनुमानों में कटौती करनी पड़ सकती है। इससे उनके शेयर की कीमतों पर फिर दबाव पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषक अभिषेक पाठक ने कहा, 'एचसीएलटेक बेहतर समझौतों के दम पर वित्त वर्ष 2027 के अनुमानों के मुताबिक प्रदर्शन कर सकती है। यदि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहता है तो वित्त वर्ष 2027 के लिए इन्फोसिस अपने आंतरिक ग्रोथ अनुमान के ऊपरी सिरे को 25 आधार अंकों तक घटा सकती है।' इस बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि इन्फोसिस अपने अनुमानों में कटौती कर सकती है।



आने वाली तिमाही में आईटी क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों की लगातार राजस्व वृद्धि दर मामूली तौर पर ही बढ़ने की उम्मीद

कोटक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'हम उम्मीद करते हैं कि इन्फोसिस अपना अनुमान 1.5 से 3 प्रतिशत से घटाकर 1.5 से 2.5 प्रतिशत कर देगी। इसमें अधिग्रहण से 170 बीपीएस का योगदान भी शामिल है। एचसीएलटी का अपने दम पर वृद्धि अनुमान पहले के 1 से 4 प्रतिशत से बढ़कर 2 से 3 प्रतिशत होने की संभावना है।'

हाल में बड़ी कंपनियों ने बड़े सौदों की घोषणा की है जिनमें टीसीएस-पोर्शे और एचसीएलटेक एवं मर्सिडीज-बेंज जैसे सौदे शामिल हैं। परसिस्टेंट और कोफोर्ज आदि सेक्टर की 'पोस्टर बॉय' मानी जाने वाली मध्यम-श्रेणी की फर्में तमाम चुनौतियों के बावजूद टीसीएस और विप्रो जैसी अपनी बड़ी साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।

जेएम फाइनेंशियल ने लिखा है, 'हम उम्मीद करते हैं कि मध्यम-श्रेणी की आईटी कंपनियों के राजस्व (अधिग्रहण सहित) में तिमाही आधार पर स्थिर मुद्रा में 2.7 से 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए यह वृद्धि 0.5 प्रतिशत घटने से लेकर से 2.6 प्रतिशत तक रहेगी, जो मोटे तौर पर निष्पादन से होगी।

Truhome FINANCE

टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
प्रधान कार्यालयः लेवल -3, वोखार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी -2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; दूरभाषः 1800 102 4345; वेबसाइटः http://www.truhomefinance.in
पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टॉवर, प्रथम तल, द्वार नं. 5, पुराना नं.11, द्वितीय लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेयनाम्पेट, चेन्नई-600018

परिशिष्ट-IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों, बंधककर्ता/ओमं एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि **टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक कब्जा टूहोम फाइनेंस लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से **टूहोम फाइनेंस लिमिटेड** के बकायों की वसूली के लिए "**जहाँ है जैसे है**", "**जो है यही है**" **तथा** "**जो कुछ भी है वहीं है**" **आधार पर 22.10.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.** के बीच नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरण के अनुसार नीलामी अनुसूची में की जायेगी।

कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा बोली वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/ बंधककर्ताओं के नाम	वसूली की राशि तथा माँग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.) एवं बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण - (एओ तथा निस्तारण टीम)
श्री भावेश शर्मा पुत्र श्री विजय शर्मा और श्रीमती नेहा रोहिल्ला पत्नी श्री भावेश शर्मा और सभी निवासीः मकान नंबर सी27/19 ओल्ड डीसी रोड, पंचम नगर, पीओ सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा-131001. फोनः 9992786868 इसके अलावा : मैसर्स फैलोनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोप्राइटरः श्री भावेश शर्मा पुत्र श्री विजय शर्मा के माध्यम से निवासी : जे4 कबीरपुर रोड, विकासपुरी, अरविंद गैस एजेंसी के पास, एटलस साइकिल, सोनीपत, हरियाणा-131001.	मांग सूचना की तिथि - 09.02.2026 रु. 12,34,461/- (रुपये बारह लाख चौंतीस हजार चार सौ इकसठ मात्र), दिनांक 7-2-2026 तक, ऋण खाता संख्या TLPHPNPT0000445 के तहत तथा यहां उल्लिखित भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्यय, लागत आदि।	रु. 12,63,600/- (रुपए बारह लाख तिरेसठ हजार छः सौ मात्र) बोली वृद्धिः रु. 10,000/- और इसके गुणक में। जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) रु. 1,26,360/- (रुपए एक लाख छब्बीस हजार तीन सौ साठ मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 21 अक्टूबर, 2026 समयः 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप. तक	22 अक्टूबर, 2026 और नीलामी का समयः 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक	संदीप राठी 7027421010 निरीक्षण की तारीखः 21.10.2026
कब्जे की तिथि एवं प्रकार: 5 अगस्त, 2026 तथा भौतिक कब्जा ज्ञात ऋणभार: ज्ञात नहीं				

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का समस्त भाग - एक आवासीय संपत्ति/दुकान सम्पत्ति आईडी-**1JN5QBA1**, जिसका माप 16 वर्ग गज है, सोनीपत में एम.सी. सीमा के भीतर, कबीरपुर रोड, विकास पुरी (पुराने डीसी रोड के पीछे), तहसील और जिला सोनीपत में स्थित है।

जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः (9'-0") कबीरपुर रोड, दक्षिणः (9'-0") शर्मा जी का घर, पूर्वः (16'-0") नरेंद्र की दुकान, पश्चिमः (16'-0") राकेश की दुकान।

1) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **टूहोम फाइनेंस लिमिटेड** की वेबसाइट देखें, वेबसाइट लिंक : **https://www.truhomefinance.in/e-auctionI** तथा नीलाम सेवा प्रदाता की वेबसाइट : **https://www.bankeauctions.com**

2) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिए गए खाता विवरण में जमा करनी होगीः बैंक का नामः एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखाः बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई बैंक खाता संख्याः चालू खाता संख्या 911020045677633 आईएफएससी कोडः **UTIB0000230**

स्थानः सोनीपत (हरियाणा)
तिथिः 03-10-2026
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी-टूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

अकासा का बोइंग बेड़ा सुरक्षित: दुबे

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के बाद अकासा एयर ने सुरक्षा चिंताओं को किया खारिज

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर

अकासा एयर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनय दुबे ने उतरने के दौरान बोइंग 737 मैक्स में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया है। एयरलाइन के पास 43 बोइंग 737 मैक्स विमानों का बड़ा बेड़ा है, जो देश भर में और विदेशों में उड़ान भरते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ साक्षात्कार में दुबे ने कहा, 'हमारे मूल्यांकन और बोइंग के साथ चर्चा के बाद हम पुष्टि कर सकते हैं कि हमारी परिचालन निरंतरता, नए विमान वितरण कार्यक्रम और बेड़े में शामिल करने की समय-सीमा पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा बेड़ा पूरी तरह सुरक्षित है।'



ये चिंताएं कुछ दिन पहले ही सामने आई थीं जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी थी कि बोइंग ने अगस्त में खरीदारों को अपने 737 मैक्स जेट में एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि उसने यह भी कहा